समाहरणालय,बक्सर

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 17-346 सा0सु0

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
बक्सर।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
जिला–बक्सर।

बक्सर, दिनांक 18-7 /2019

विषय :– प्रखण्डस्तरीय दिव्यांगजन समूह हेतु आयोजित बैठक में राज्य आयुक्त निःशक्तता के शामिल होन के संबंध में।

प्रसंग :– राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार पटना का पत्रांक 784/आ.नि.का. दिनांक 16.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सबंध में सूचित करना है कि प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में दिव्यांगजन समूह का गठन किया जाना है। समूह में 18 से 40 आयु वर्ग के कम से कम 05 सदस्य होने चाहिए। उक्त समूह में दिव्यांगता के 21 प्रकार (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता) में से कम से कम 05 अलग–अगल प्रकार के दिव्यांगों का प्रतिनिधत्व होना चाहिए। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि आपके प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में उक्त समूह का गठन कर दिनांक 23.07.2019 से 25.07.2019 तक प्रखण्ड स्तर पर समूह के सदस्यों की एक बैठक आयोजित करने की कृपा करेंगें तथा बैठक से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र (संलग्न) में सामाजिक सुरक्षा कोषांग बक्सर के ई–मेल आई0डी0 पर भेजने की कृपा करेंगे। साथ ही यह भी सूचित करना है कि प्रखण्ड स्तरीय आयोजित होने वाले दिव्यांगजन समूह की बैठक में संबंधित प्रखण्ड के सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। विदित हो कि इस बैठक राज्य आयुक्त निःशक्तता स्वयं भी उपस्थित रहेंगे।

राज्य आयुक्त निःशकतता के निदेशानुसार सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी निम्न समय सारणी के अनुसार बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे :–

क्र0	प्रखण्ड	तिथि	समय	क्र0	प्रखण्ड	तिथि	समय
1	ब्रह्मपुर	23.07.2019	9:00 से 9:40 तक	7	चौगाई	23.07.2019	14:35 से 15:00 तक
2	चक्की		10:00 से 10:30 तक	8	इटाढ़ी	24.07.2019	07:00 से 08:00 तक
3	सिमरी		10:45 से 11:30 तक	9	बक्सर		08:30 से 09:30 तक
4	डुमरॉव		11:45 से 12:30 तक	10	चौसा	25.07.2019	07:00 से 08:00 तक
5	नावानगर		13:00 से 13:40 तक	11	राजपुर		08:30 से 09:30 तक
6	केसठ		13:50 से 14:15 तक				

विश्वासभाजन

18/07/19.

सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
बक्सर

ज्ञापांक 17-346/सा0सु0, दिनांक 18 / 7 /2019

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, बक्सर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

18/07/19.

सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
बक्सर